रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1973/पौष 29, 1894

No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1973/PAUSA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 19th January 1973

S.O. 35(E)/18FB/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972, the management of the industrial undertaking known as Messrs India Machinery Company Limited, Howrah (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years up to and inclusive of the 24th November, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industries, namely, industrial instruments, machine tools etc.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F. 25/26/72-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1973

का॰आ॰ 35 (अ) /18एफ॰ए॰बी॰/आई॰डी॰आर॰ए॰/73.—यत: भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं॰ का॰आ॰ 725 (ई) / 18ए/आई॰डी॰आर॰ ए॰/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 द्वारा मैसर्स इण्डिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड, हावड़ा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन 24 नवम्बर, 1977 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए, ग्रहण कर लिया गया है ।

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, अनुसूचित उद्योगों, अर्थात, औद्योगिक उपकरण मशीन औजार, आदि, में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जनसाधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है ।

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कंपनी को लागू हों, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ।

[सं॰फा॰ 25 (26)/72-सी॰ यू॰ सी॰]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973